**संख्या-91/2015/1070/41-2015-28 यो0/14**

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 मई, 2015

**विषय-राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों के निर्माण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-173/6-1-1(464)/2015, दिनांक 28-06-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों के निर्माण की योजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त सोहराब अली घाट के निर्माण की योजना हेतु आंकलित लागत रू0-278.93 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख, सोझवा घाट के निर्माण हेतु आंकलित लागत रू0- 294.08 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख तथा पंचमुखी हनुमान घाट के निर्माण हेतु आंकलित लागत रू0-295.98 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में प्रत्येक घाट के निर्माण हेतु रू0-100.00 लाख अर्थात कुल रू0-300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 70/1495/41-2014-28 यो0/14, दिनांक 07.11.2014 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3. उक्त के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में स्थित 03 पर्यटन स्थलों/घाटों के निर्माण की योजना हेतु सोहराब अली घाट के निर्माण की योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0-178.93 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख, सोझवा घाट के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0- 194.08 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख तथा पंचमुखी हनुमान घाट के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0-195.98 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख की द्वितीय किश्त के रूप में प्रत्येक घाट के निर्माण हेतु रू0-100.00 लाख अर्थात कुल रू0-300.00 लाख (रूपये तीन करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर्यटन निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा प्रश्नगत योजना के कार्य के रख-रखाव पर आने वाला व्यय-भार राजकोष पर न पड़े।

**3.** उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

**<u>संख्या-91/2015/1070(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
8 संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in